

डिक्री वमुकदमें ईव्वदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 192/2025

अनिलकुमार दत्तक पुत्र रामेश्वरी जाति जाट साकिन किशनपुरा उत्तरादा तहसील
संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

वादी

बनाम

1. रामेश्वरी पत्नी मामराज जाति जाट साकिन किशनपुरा उत्तरादा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. रानी पुत्री मामराज जाति जाट साकिन किशनपुरा उत्तरादा तहसील संगरिया
3. कृष्णादेवी पुत्री मामराज जाति जाट साकिन किशनपुरा उत्तरादा तहसील संगरिया
4. तहसीलदार "राजस्व" संगरिया


प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इन्फिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री ओमप्रकाश शर्मा वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री नवरत्न स्वामी वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 14 पीटीपी के खाता संख्या 140/61 जमावन्दी सम्बत 2072-2075 मे प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज कृषि भूमि का वादी अनिल कुमार दत्तक पुत्र रामेश्वरी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नही है तो राजस्व रिकार्ड में इसका अंकिन किया जावे।

नोट:- प्रश्नगत भूमि बैक रहन मुक्त होने के पश्चात् ही उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे।

निज........नल........मुब्लिक........निल........बाबत........निल........खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक........अदा करें।

बसव्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 3.6.2025 को जारी किया गया।


(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
जय कौशिक
संगरिया